

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.रा.न्या.से.) अवकाश / 1035 / 2022

दिनांक : 24.03.2022

श्रीमती उपासना कावट (RJ1131), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, अलवर को दिनांक 28.03.2022 से 23.09.2022 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान) दिनांक 26.03.2022 से 27.03.2022 एवं 24.09.2022 से 26.09.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री रमेश कुमार कशड़िया (RJ1197), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, अलवर को श्रीमती उपासना कावट के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, अलवर के कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त किया जाता है।

श्रीमती आराधना शर्मा (RJ1047), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, अलवर को श्रीमती कावट के अतिरिक्त कार्यभार वाले न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, अलवर के कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त किया जाता है।

उक्त अवकाश का अतिरिक्त कार्यभार निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री रमेश कुमार कशड़िया (RJ1197), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, अलवर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालयों के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 24.03.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2 (4)/119/2016/2317

दिनांक 24.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 6411 दिनांक 02.03.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती उपासना कावट (RJ1131), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, अलवर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, अलवर।
5. श्री रमेश कुमार कशड़िया (RJ1197), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, अलवर।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, अलवर।
7. श्रीमती आराधना शर्मा (RJ1047), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, अलवर।
8. संबंधित कोषालय।
9. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार